फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कादरीगेट

दिनांक – 09.08.2026

एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये का 01 इनामिया अभियुक्त किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस टीम थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1)/61(2) में वांछित अभियुक्त रोहित हुड्डा पुत्र हरीचन्द्र हुड्डा निवासी ग्राम दयालपुर थाना IMT सदर बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. रोहित हुड्डा पुत्र हरीचन्द्र हुड्डा निवासी ग्राम दयालपुर थाना IMT सदर बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद (हरियाणा)।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.07.2026 को वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि थाना कादरीगेट क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों ने वादिनी के पति अरुण हुड्डा की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रोहित पुत्र हरिचन्द्र निवासी दयालपुर, बल्लभगढ जिला फरीदाबाद (हरियाणा) आदि 03 नफर पंजीकृत कर थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 अभियुक्त सोनू उर्फ कर्मवीर पुत्र नरेन्द्र डागर निवासी ग्राम धतीर थाना गदपुरी जिला पलवल (हरियाणा) व 01 बाल अपचारी को 01 नाजायज पिस्टल मैगजीन 32 बोर सहित व 07 जिंदा कारतूस 32 बोर, 3340 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 कार मारुती सुजूकी फ्रांक्स बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार कर दिनांक 31.07.2026 को तथा 25 हजार के 01 इनामिया अभियुक्त को दिनांक 07.08.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। विवेचना के क्रम में अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त रोहित हुड्डा पुत्र हरीचन्द्र हुड्डा निवासी ग्राम दयालपुर थाना IMT सदर बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद (हरियाणा) को अन्तर्गत धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त रोहित हुड्डा उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं गांव में ही रहकर खेतीवाडी व प्रोपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, रंजीत मेरा खास दोस्त है। अमित और सोनू दोनो रंजीत के दोस्त है। करीब एक साल पहले एक जमीन की बिक्री कराने को लेकर मेरा और अरुण का विवाद हुआ था जिसको लेकर अरुण ने मुझे कई बार गाली गलौज की थी। रंजीत भी मेरा साथ रहता था इसीलिए अरुण, रंजीत व उसके परिवार के लोगो से भी रंजिश मानता था। इसलिए हमने अरूण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जब मुझे पता चला कि अरूण कही घूमने गया है, तब हमने अमित, साहिल व उसके दोस्त को असलाह व पैसा लेकर अरुण के पीछे भेज दिया तथा उसका पीछा करते-करते फर्रुखाबाद पहुँचे और वहाँ मौका पाकर साहिल ने गोली मारकर अरूण की हत्या कर दी। मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए।

अभियुक्त रोहित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 183/26 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम -

01. थानाध्यक्ष श्री कपिल कुमार 02. का0 अभिषेक चाहर 03. का0 अनिल कुमार

गिरफ्तार करने वाली द्वितीय टीम –

01. उ0नि0 श्री संतकुमार प्रभारी एसओजी/सर्विलांस जनपद फतेहगढ मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना नवाबगंज

दिनांक 09.08.2026

एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त को चोरी किए गए ट्रैक्टर व रोटावेटर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 204/26 धारा 61(2)/303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को चोरी किए गए ट्रैक्टर व रोटावेटर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01.अक्षय कुमार पुत्र श्याम स्वरुप निवासी ग्राम घुमइया रसूलपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- वादी ने थाना नवाबगंज पर दिनांक 15.07.2026 को अभियुक्तों द्वारा वादी का ट्रैक्टर रोटावेटर सहित चोरी कर लेने के संबंध में तहरीर दी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 204/26 धारा 61(2)/303(2)/बीएनएस बनाम अक्षय कुमार पुत्र श्याम स्वरुप निवासीगण ग्राम घुमइया रसूलपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ आदि 02 अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र श्याम स्वरुप निवासी ग्राम घुमइया रसूलपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ को चोरी किए गए ट्रैक्टर व रोटावेटर सहित गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अक्षय कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपनी गलती की मांफी मांगते हुए सफाई जरिए अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त अक्षय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 69/21 धारा 363 भादवि थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2.मु0अ0सं0 204/26 धारा 61(2)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस/एसओजी फतेहगढ़ मय टीम
2. उ0नि0 श्री जगराम सिंह थाना नवाबगंज
3. हे0का0 नन्दलाल थाना नवाबगंज

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।